

Q. No. 15110
— 30/11

१०५

১৮৮১ সালের ১৫ই আগস্ট, ১৮৮১

7483-2007-77/30099

निर्देशः अस्ति

28-11-1977

28-11-1977

आजादन कलकत्ता के अन्विर्षी की अमय पूर रिताई-राय सरीय रिताई का मलन

1-2-78

उपस्थित विज्ञापक मापन पत्र क्रमांक 13047 जी. ३, दिनांक 18-8-77

2- आजीवन कारावास की जरूरतों की अपेक्षा पूर्व रिहाई की वर्तमान सीमा को उदार

विभाग पर कुछ काम से विचार हो रहा था। अंतर्गत दफ्तार में भी कुछ काम हो रहा था।

यथा कि कालोपे का पुनरीक्षण एक राज्य क्षारीय कच्ची जमीन निकले निम्नलिखित जलवायु इति

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) | जेल मंत्री | |
| 2) | प्रति, हरियाणा सरकार,
जल विभाग | अ. ४५ |
| 3) | विधि परामर्शी हरियाणा । | सदर |
| 4) | कारगार महानियंत्रक, हरियाणा | सदर
(सदर साक्षी औरत) |

3- संबोधित जेल अधीक्षक आजीवन कारावास बन्दी के 8-1/2 वर्ष वास्तविक दण्ड पूरा होने तथा छूट सहित 14/10 वर्ष का दण्ड पूरा होने से 2 मास पूर्व उस बन्दी का रोल नवीन होना

सहित कारागार महा निरीक्षण को धोखा जो से सही बान्धनों के केश अपनी सिंघारों सहित

उत्पन्न कोटी के सम्पूर्ण विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस कोटी की बैंक जेल मंत्री महोदय की

सुविधा मनुष्य के भास में एक बार उनके कर्माणि कक्ष में होगी । कारणों के महत्त्व के कारण

कमोटी का पैसा प्रत्येक बन्दी के रोल के साथ सरकार के पास एक सप्ताह के अन्दर-2 दीजिये ।

4- इन मनुष्यों के जारी होने से सरकार के एक दिवस 256-2000-75/5982 दिनांक

17-3-75 द्वारा जो मनुष्य को हृदय से रक्त समान करता है 1

६०: जायत स्वं उम लोचन
चिन्ता हरिताल वरुण,
मेरा विश्वास

9

पू० क्र. 7483-2 जेजे 77/30100

दिनांक, चंडीगढ़ 28/11/77

एक प्रति राज्य के सभी उपायुक्तों को सरकार के पत्र संख्या 256-2 जेजे 77/30100

दिनांक 17-3-76 के संदर्भ में भेजी जाती है।

2- यूनिट सेस केसों में पुलिस की रिपोर्ट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनसे अनुरोध है कि संबंधित व्यक्तियों के केस जो उनके पास लब्धित पड़े हों वे कारभार महानिरीक्षक, हरियाणा को भेज दिए जाएं।

उप सचिव,

कृते: आप्रभुत एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

पू० क्र. 7483-2 जेजे 77/30101

दिनांक, चंडीगढ़ 28-11-77

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

- 1- आप्रभुत भण्डल अम्बाला, हिमाचल।
- 2- हरियाणा के सभी अतिरिक्त पुलिस।
- 3- हरियाणा के सभी अतिरिक्त जेल।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा चंडीगढ़।

उप सचिव,

कृते: आप्रभुत एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

पू० क्र. 7483-2 जेजे 77/30102

दिनांक, चंडीगढ़ 28-11-77

एक प्रति विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

उप सचिव,

कृते: आप्रभुत एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

एक प्रति जेल मंत्री हरियाणा के निमित्त सचिव, तथा सचिव, हरियाणा सरकार जेल विभाग के निमित्त सहायक जो जेल मंत्री/सचिव, जेल विभाग को सूचना हेतु भेजी जाती है।

उप सचिव,

कृते: आप्रभुत एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।

सेवा में

- 1- निजि सचिव/जेल मंत्री हरियाणा
- 2- निजि सहायक/जेल सचिव, हरियाणा।

मार्ग क्र. 7483-2 जेजे 77,

दिनांक, चंडीगढ़ 28-11-77

राम सिंह Hari *
24/11